COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES

FIVE RUPEES INDIA Rs.5

100

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग—562—I—16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

1. सिद्धार्थ वालिया पुत्र अमर सिंह

निवासी—रामनगर पहाडगंज नई दिल्ली

2. रतीश शर्मा पुत्र आर.एन. शर्मा

निवासी—पटेल नगर, नई दिल्ली

3. सौरभ अत्री पुत्र एस.के.शर्मा

गोपीनाथ बाजार नई दिल्ली

विरूद्व

1. मध्यप्रदेश शासन

2. राजेश पंथी पुत्र श्यामलाल पंथी

3. मुकेश पंथी पुत्र श्यामलाल पंथी

4. राकेश पंथी पुत्र श्यामलाल पंथी

निवासीगण कुरवाई, जिला—विदिशा

5. मधुगाव पत्नी सतपाल गावा पंजाबी

निवासी—गुडगाव हरियाणा

6. राजेश्वरी चौधरी पत्नी यशपाल चौधरी

निवासी—गुडगांव हरियाणा

श्री ... द्वारा आज दि. 16/2/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपर कलेक्टर जिला—विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/स्वमेव निगरानी/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 29—01—2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा—50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है—

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाहीं करने के पश्चात अनावेदक क्रमांक 2, 3 एवं 4 के पक्ष में भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1998 में किया गया था तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखो में भूमि स्वामी के रूप प्रविष्ट था तथा राजस्व अभिलेखो में भूमि विक्रय से प्रतिबंधित नहीं थी आवेदकगण द्वारा वर्ष 2007 में भूमि को क्रय किया था तथा क्रय करने के

XXIX(a)-BR(H)-11

(1.00)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-562-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	